

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 185/2012

जीसीएमएस नम्बर - 2012/00209

1. श्रीमती अनूप देवी पुत्री श्री रावत सिंह पत्नि महावीर सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी नुहनिया हाल आबाद सोहड़ी तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0
2. श्रीमती मुर्ती देवी पुत्री श्री रावत सिंह पत्नि श्री बालासिंह जाति राजपूत निवासी नुहनिया हाल आबाद सोहड़ी तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती भगवती देवी पत्नि स्व0 रावतसिंह
2. लक्ष्मणसिंह
3. जगदीश सिंह पुत्रान स्व0 रावत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी नुहनिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
4. राजस्थान सरकार जरीय तहसीलदार, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक खातेदारी

-: निर्णय :-

निर्णय दिनांक :- 1-7-22

वादीयागण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया है कि :-

1. यह कि वादीयागण एवं प्रति0 स0 1 ल0 3 एक ही परिवार के सदस्य है। जिसमें वादीयागण एवं प्रति0 स0 2 ल0 3 सगे भाई बहन है जिसमें प्रतिवादीया स0 एवं स्व0 श्री रावत सिंह के ओरस पुत्रिया एवं पुत्र है जो प्रति0 स0 1 से जन्म लिया है इसलिए वादीयागण स्व0 रावत सिंह की सगी पुत्रिया है।
2. यह कि वाके ग्राम नुहनिया पटवार हल्का भूरीवास तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 हाल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 अनुसार भूमि खाता 54 के ख0 न0 86 रकबा 1.83 है0 ख0 न0 87 रकबा 3.31 है0 ख0 न0 111 रकबा 3.72 है0 ख0 न0 124 रकबा 1.66 है0 ख0 न0 218 रकबा 0.26 है0 ख0 न0 305 रकबा 4.55 है0 ख0 न0 306 रकबा 2.42 है0 कुल खसरा 7 कुल रकबा 17.75 है0 में प्रति0 स0 1 लगा0 3 का हिस्सा 1/3 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें खातेदार दर्ज है उसमें वादीया का नाम दर्ज नहीं है। जबकि स्व0 रावत सिंह कि ओरस पुत्रीया है जो कोपशर होने से जन्म से ही पिता की भूमि में पुत्रिया एवं पुत्र हिस्स अनुसार दर्ज होता है जबकि वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं बना है।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

3. यह कि ग्राम नुहनियां पटवार हल्का भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 अनुसार भूमि खाता स0 75 के ख0न0 225 रकबा 1.15 है0 ख0 भूमि में प्रति0 स0 3 का हिस्सा 0.09 है0 तथा प्रति0 स0 1 ल0 2 का हिस्सा 2/9 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीयागण उक्त भूमि हिस्सा जन्म से होने पर भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ और उसी अनुसार खाता स0 76 के ख0न0 226 रकबा 1.98 है0 भूमि में प्रति0 स0 3 का हिस्सा 0.16 है0 भूमि तथा प्रति0 स0 1 ल0 2 का हिस्सा 2/9 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ।
4. यह कि वाके ग्राम नुहनियां पटवार हल्का भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 अनुसार भूमि खाता स0 78 के ख0न0 193 रकबा 0.47 है0 ख0न0 216 रकबा 0.72 है0 ख0न0 219 रकबा 1.20 है0 ख0न0 223 रकबा 0.06 है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.45 है0 भूमि में प्रति0 स0 3 का हिस्सा 0.20 है0 तथा प्रति0 स0 1 ल0 2 का हिस्सा 2/9 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार दर्ज है। जिसमें वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ।
5. यह कि नामान्तरण स0 249 निर्णय दिनांक 07.05.2012 न्याय आदेशानुसार ख0न0 216/2 रकबा 0.56 है0 ख0न0 218 रकबा 0.26 है0 ख0न0 219/1 रकबा 0.62 है0 ख0न0 225/6 रकबा 0.29 है0 ख0न0 226 रकबा 1.98 है0 ख0न0 223 रकबा 0.06 है0 ख0न0 305/4 रकबा 0.71 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.48 है0 ख0न0 111 रकबा 3.72 है0 भूमि का खाता विभाजन कर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड प्रति0 स0 1 ल0 3 दर्ज कर उसी अनुसार नामान्तरण दर्ज में वादीयागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ।
6. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में से वादीयागण का हिस्सा जन्म से ही है क्योंकि स्व0 रावत सिंह की सगी पुत्रिया है एवं हिस्सा कोपश्नर होने से अपने आप दर्ज होने चाहिए था हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पुत्र एवं पुत्रीयों का हिस्सा पिता की भूमि में बराबर बराबर होता है और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज किया जाता है परन्तु राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही से वादीयागण का अपने ही पिता की भूमि में नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया।
7. यह कि आधार विवाद इस प्रकार से है स्व0 रावत सिंह की खातेदारी भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से जबकि प्रतिवादी स0 1 ल0 3 का दर्ज होने से यह दावा माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।
8. यह कि वाद पत्र बाबत अधिकार घोषणा खातेदारी के लिये कोई मियाद नहीं है इसलिए यह दावा सावधि में पेश है।
9. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम नुहनिया पटवार हल्का भूरीवास तह0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित है इसलिए माननीय न्यायालय को सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार है।
10. यह कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट अनुसार 2/रु. न्यायालय शुल्क पर यह दावा पेश है।
11. यह कि वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी आज तक अपटुडेट है तथा शपथ पत्र वादीया का संलग्न है।

(क) कि वाद वर्णित भूमि ख0न0 216/2 रकबा 0.56 है0 ख0न0 218 रकबा 0.26 है0 ख0न0 219/1 रकबा 0.62 है0 ख0न0 225/6 रकबा 0.29 है0 ख0न0 226 रकबा 1.98 है0 ख0न0 223 रकबा 0.06 है0 ख0न0 305/4 रकबा 0.71 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.48

(सुनील कुमार चौहान)
पञ्चदश अधिकारी भूकान
जिला झुंझुनू (राज.)

है0 ख0न0 111 रकबा 3.72 है0 भूमि में वादीयागण का हिस्सा 2/5 दर्ज कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड बनाया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

(ख) यह कि दावा पक्ष वादीयागण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जाने के आदेया देने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादीगण की तामील सम्पूक हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री मुकेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया गया। करीब 3 वर्ष बाद No instruction किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से करीब 7 वर्ष बाद जबाव पेश नहीं करने बाबत निवेदन किया । प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का जबाव बन्द किया गया है।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2066-69 पेश किए गए।

(5) बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन, धोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती का है। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम नूहनियां तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 216/2 रकबा 0.56 है0 खसरा नम्बर 218 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.62 है0 खसरा नम्बर 225/6 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 226 रकबा 1.98 है0 खसरा नम्बर 223 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 305/4 रकबा 0.71 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 4.48 है0 ख0न0 111 रकबा 3.72 है0 भूमि में वादीयागण का हिस्सा 2/5 का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 125 रकबा 1.74 है। वादीगण को रकबा 0.5756 है। भूमि का खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 112 रकबा 1.10 है। में 0.55 है। के बजाए उनका संयुक्त रूप से 0.20 है तथा खसरा नम्बर 125 में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का हिस्सा 0.55 है, के बजाए 0.2757 है। दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपस्थित अधिकारी (सोहब)

पदेन सहायक कमिश्नर बुहाना

निर्णय आज दिनांक 11/7/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपस्थित अधिकारी एवं
(सुनील कुमार चौहान)
पदेन सहायक कमिश्नर बुहाना

जिला इन्स्पेक्टर (राज.)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पितासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 185/2012

जीसीएमएस नम्बर - 2012/00209

निर्णय दिनांक:- 11/7/22

अनुपदेवी आदि बनाम भगवती देवी आदि

दावा-घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88, राज0 टिनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/7/22 को सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम नूहनियां तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 216/2 रकबा 0.56 है0 खसरा नम्बर 218 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.62 है0 खसरा नम्बर 225/6 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 226 रकबा 1.98 है0 खसरा नम्बर 223 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 305/4 रकबा 0.71 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.48 है0 ख0न0 111 रकबा 3.72 है0 भूमि में वादीयागण का हिस्सा 2/5 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 125 रकबा 1.74 है। वादीगण को रकबा 0.5756 है। भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 112 रकबा 1.10 है। में 0.55 है। के बजाए उनका संयुक्त रूप से 0.20 है तथा खसरा नम्बर 125 में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का हिस्सा 0.55 है। के बजाए 0.2757 है। दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कास्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/7/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
 जिला झुन्झुनू (राज.)